



2026:AHC:49252-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 51/2026

राजेश चौहान याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य विपक्षगण

याची हेतु अधिवक्ता: अमित कुमार सिंह

विपक्षी हेतु अधिवक्ता : मीनाक्षी सिंह (ए.सी.एस.सी.), धीरेंद्र सिंह, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला, संजय कुमार ओम

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका याची द्वारा विपक्षियों को यह निर्देश देने की मांग के साथ दायर की गई है कि वे ग्राम-सियाबस्ती, जिला-मऊ में ओवरहेड पानी की टंकी का निर्बाध निर्माण सुनिश्चित करें।
2. यह दलील दी गई है कि पानी की टंकी स्वीकृत की गई थी और उसका निर्माण किया जा रहा था, जिसमें बोरिंग का काम पहले ही पूरा हो चुका था, हालांकि, विपक्षी संख्या 6 द्वारा शुरू किए गए एक मुकदमे के कारण (जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत आदेश पारित किया गया था), जिसमें उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से आदेश दिया था कि ओवरहेड पानी की टंकी का निर्माण जारी रहे, विपक्षियों ने बिना किसी स्पष्ट कारण के निर्माण कार्य रोक दिया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की ओर से निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि यद्यपि इस न्यायालय ने विवादित भूमि पर ओवरहेड पानी की टंकी के निर्माण की अनुमति दी थी, केवल उक्त मुकदमे के लंबित होने के कारण यह दावा किया जा रहा है कि निर्माण नहीं हो रहा है।
4. विपक्षी संख्या 6 द्वारा शुरू किए गए मुकदमे में पारित आदेश में निर्माण जारी रहने का स्पष्ट संकेत दिए जाने के बावजूद विपक्षियों की कार्रवाई और रवैया समझ से परे है।
5. ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी जल निगम के अधिकारी विपक्षी संख्या 6 का समर्थन करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ अंतरिम आदेश दिए जाने और निर्माण जारी रखने की आवश्यकता के बावजूद उसे रोक दिया गया है। अधिकारियों की इस कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
6. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस मामले/अधिशाली अभियंता के उस आचरण की जांच करें जिसमें न्यायालय के निर्देशों के विपरीत निर्माण जारी नहीं रखा गया।
7. इसके अतिरिक्त, विपक्षी-अधिशाली अभियंता को निर्माण जारी रखने का निर्देश दिया जाता है और विपक्षी संख्या 6 को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त विपक्षी संख्या 6 द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश की शर्तों के अनुसार किए जा रहे निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न न करे।
8. उपरोक्त निर्देशों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

मुकेश पाल/साजिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।